संख्या–175 / XXIV(1) / 2008–24 / 2007

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः २२ जुलाई, 2008

विषयः– 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 303 प्राथमिक विद्यालय भवनों के अनुरक्षण हेतु अनुदान की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–56991 / 12वें वित्त आयोग / 2007–08, दिनांक 23.01.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार 303 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के विशेष मरम्मत हेतु प्रारम्भिक आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुति रू0 360.65 लाख (रूपये तीन करोड़ साठ लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि का उपयोग 31.03.2009 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किये जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधानों को, कार्य करने से पूर्व, विस्तृत ब्यौरा गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

6. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाये एक मद की धनराशि को दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8. कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जी0बी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक 2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य आयोजनेत्तर–053–रख–रखाव तथा मरम्मत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–160(NP)/वित्त अनुभाग–3/2007, दिनांक 08 जूलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / पौड़ी / चमोली / चम्पावत / पिथौरागढ / अल्मोड़ा / नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरकाशी / पौड़ी / चमोली / चम्पावत / पिथौरागढ / अल्मोड़ा / नैनीताल (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
4. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तरकाशी / पौड़ी / चमोली / चम्पावत / पिथौरागढ / अल्मोड़ा / नैनीताल (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से)।
5. वित्त अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त आयोग, निदेशालय, वित्त विभाग, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।